निष्कर्ष

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, का उद्देश्य कर्मचारी पेंशन योजना (क.पें.यो.) तथा कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (क.ज.सं.बी.) योजना के साथ मिलकर कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अतः यह आवश्यक है कि उन सभी प्रतिष्ठानों को, जो क.पें.यो अधिनियम की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं, इसकी परिधि के अंदर अविलंब लाया जाए। क.भ.नि.सं. इसे सर्वेक्षणों एवं निरीक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। इस संबंध में उल्लेखनीय कमियाँ देखी गयी थीं। साथ ही, क.भ.नि.सं. इसके योजनाओं के स्वैच्छिक आवृत्ति की ओर बहुत अधिक प्रोत्साहक नहीं था।

ब्याज उचंत खाता शेष, मार्च 2012 तक लगभग 38.74 लाख ग्राहक खातों के अद्यतन होने के अभाव में, ग्राहकों को ब्याज के रूप में विवरण हेतु उपलब्ध राशि की सही स्थिति नहीं दर्शाता है। आगे 70,000 से अधिक ग्राहक खाते ऋणात्मक शेषों को दर्शाते थे, जो अतिरिक्त आहरण के द्योतक थे। ये अपने ग्राहकों को अपर्याप्त सेवा के द्योतक थे। इसकी आय योजना के परिचालन पर होने वाले व्यय से सतत रूप से अधिक थी। क.भ.नि.सं., वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश के स्वरूप का भी पालन नहीं कर रहा था।

क.भ.नि.सं. में राजस्व संग्रहण प्रक्रियाएं त्रुटिपूर्ण थीं। देयताओं के निर्धारण में बकाये, गैर छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों के ऊपर वसूली-योग्य बकाया राशि, छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों से प्राप्त निगरानी प्रभार काफी अधिक थे।

छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों ने उनके न्या.मं. को क.पें.यो. की एकत्रित राशि को हस्तांतरित किया और न्या.मं. ने उनके पास हस्तांतरित राशि का निवेश किया, क.भ.नि.सं. का अपेक्षित नियंत्रण नहीं था।

योजना के कार्यान्वयन की अधिकतर कमियाँ, जो इस प्रतिवेदन में शामिल की गयी हैं, कार्रवाई टिप्पण के माध्यम से लो.ले.स. को दिये गये पूर्व आश्वासन के बावजूद भी बनी हुई हैं।

(ए.डब्ल्यू.के. लैंगस्टीह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय

नई दिल्ली
दिनांक: 13 जनवरी 2014

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 20 जनवरी 2014